Form No:1008



Office of the District Basic Education Officer JAUNPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

LORD BUDDHA NATIONAL PUBLIC SCHOOL, SARAI BIKA 1. This is to certify that JAUNPUR is permanently recognized for Primary (class 1 to 8). The Recognition number alloted to LORD BUDDHA NATIONAL PUBLIC SCHOOL is 1630-33/2017-18. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

10-02-2025 (DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

4. School Type

5. Recognition No.

Old

Primary to Upper Primary School (1 to 8)

1630-33/2017-18

DATE:- 10-02-2025 **PLACE: JAUNPUR**

District Basic Education Officer

Digitally signed by GORAKHNATH PATEL Date: 2025.02.10 12:22:13 Reason: For Digital Signature Location: JAUNPUR

Lord Buddha International School Sarai Bika-Jaunpur Uttar Pradesh

Note : This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर ।

रोवामें.

प्रबन्धक लार्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल सरायबीका मछलीशहर जौनपुर

/2017-18 दिनांक 30.5-17 1630.33 पत्रांक/मान्यता/

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय.

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचन मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ०प्र० शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-6 आदेश संख्या 419/76-6-2013-18 (20)91 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 20.05.2107 के अनुकम में आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रति निर्देश से लार्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल सरायबीका मछलीशहर जौनपुर को 30.05.2017 से 29.05.2020 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है -

- 1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
- 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।
- 4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंदों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेंगा और किसी बालक या उसके गाता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेंगा ।
- 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निः'शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापको की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अईताये नही है, पूर्व वर्ष) की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों की पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-किया कलापो में नियोजित नहीं करेंगे। 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाद्वयक्षमु स्वयुद्धित करेगा। Sarai Bika-Jaunpur Uttar Prade ह. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिदिष्ट विद्यालय के मानको और अस्तियमा करना i Sarai Bika-Jaunpur on समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है– विद्यालय प्ररिसर का क्षेत्रफल 40 PRINCIPAL Unar Pradesh-212207 PF. Aliahabad

Sarai Bika, Jaunpur

Manager Lord Buddh> National Public School Jaimour

कुल निर्मित क्षेत्र। क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल । कक्षाओ की संख्या । प्राध्यापक-सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष। बालको और बालिकाओ के पृथक शौचालय। पेयजल सुबिधा । पीड-डे-मील पकाने के लिए रसोई । बाधा रहित पहुँच । अध्यापन प्रतन सामग्री (कीटा कोलकर जगवको (प्रतन

- अध्यापन पठन सामाग्री/कीडा खेलकूद उपरकरो/पुरतकालय की उपलब्धता ।
- 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये नहीं चलाई जायेंगी।
- 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा रथल का प्रयोग केंवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनों लिए किया जाता है।
- 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास चलाया जा रहा है।
- 12. स्कूल को व्यष्टि, व्यक्टियों के समूह का संगम किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक x है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय –समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / खानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी खताँ के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करनें या विद्यालय के कार्यकरण की कगियों को दूर करनें के लिए जारी किया जायेगा।
- 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय ।
- 17. संलग्न उपवन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।
- 13 मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात / अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूरिवेत पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करन की कार्यवाही की जायेगी।
- 19. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन किया जायेगा।

भवदीय

Maur Lugh

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

1630.33

/2017-18 दिनांक-उक्तवत ।

Jidvalaya

हेन्दीय विद्यालय

ली आर.पी.एक. इलाहायाद

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ।

पु०सं०/मान्यता /

2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी ।

3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड /नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानको की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये । 4. कार्यालय प्रति ।

PRINCIPAL Lord Buddha National Public School Sarai Bika, Jaunpur

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर।

Manager Lord Buddhe National Public School Scribbks, Jaunpur